

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
उप निदेशक मत्स्य, फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़,
मिर्जापुर, झाँसी, इलाहाबाद, आगरा, बरेली, मेरठ एवं वाराणसी।

पत्रांक : 2258/ले0 शा0/बजट/2012-13

दिनांक: // अक्टूबर, 2012.

विषय:- वर्ष 2012-13 में प्रयोगशालाओं के सुदृणीकरण योजनान्तर्गत बजट आवंटन।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1563/सत्रह-म0-2012-11-2(3)/2009 दिनांक 6-8-2012 द्वारा निर्गत धनराशि रू0 3.50 लाख का आवंटन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है:-

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार से व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों एवं स्टोर पर्चेज नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत की आवश्यकता हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजकर ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. निर्गत धनराशियों के अन्तर्गत कोषागार से धन आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशियों को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-1515/सत्रह-2012-231/2012, दिनांक 9 जुलाई, 2012 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए व्यय किया जाये तथा स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न किया जाय तथा आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण किया जायेगा।

5. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

क्रमांक	आहरण वितरण अधिकारी/जनपद	स्वीकृत/आवंटित धनराशि (रू0 लाख में)
1	आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय	0.50
2	उप निदेशक मत्स्य, फैजाबाद	0.30
3	उप निदेशक मत्स्य, गोरखपुर	0.30
4	उप निदेशक मत्स्य, आजमगढ़	0.30
5	उप निदेशक मत्स्य, मिर्जापुर	0.30
6	उप निदेशक मत्स्य, झाँसी	0.30
7	उप निदेशक मत्स्य, इलाहाबाद	0.30
8	उप निदेशक मत्स्य, आगरा	0.30
9	उप निदेशक मत्स्य, मेरठ	0.30
10	उप निदेशक मत्स्य, वाराणसी	0.30
11	उप निदेशक मत्स्य, बरेली	0.30
	योग -	3.50

(रूपया तीन लाख पचास हजार मात्र)

A. Prakash
11. 10. 12

(2)

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्यय के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखा गीर्षक, 2405-मछली पालन-आयोजनेत्तर, 800-अन्य व्यय 11-प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण 39-औषधि तथा रसायन के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

(आत्म प्रकाश बाजपेई)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक 2506 / ले० शा० / बजट / 2012-13 उक्त दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक मत्स्य के कैम्प कार्यालय हेतु।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. अनुसंधान अधिकारी (रसायन) मुख्यालय।
7. श्री अंशुमान सिंह को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Atma Prakash
(आत्म प्रकाश बाजपेई)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।